प्रेस नोट ***28/02/2026***

अपहरण की झुठी सूचना पर पंजीकृत फर्जी मुकदमे का खुलासा–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.02.2026 को वादी मुकदमा सुरेमन पुत्र स्व0 सन्तू नि0 नसीरपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा सूचना दिया कि मेरी पत्नी गीता देवी का अज्ञात लोगो के द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसके तहत वादी मुकदमा के लिखित सूचना पर दिनांक 26.02.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/26 धारा 140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। अपहृता गीता देवी के सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम व सर्विलांस टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था जिसके तहत अपहृता गीता देवी की बरामदगी आज दिनांक 28.02.2026 को जनपद मुगलसराय से की गयी। पीडिता गीता देवी के बयान व जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अपहृता गीता देवी द्वारा एक सुनियोजित तरीके से स्वंय चली गयी और अपने पति को अपहरण होने की झूठी सूचना दी गयी। जिसके सम्बन्ध मे झूठी सूचना देने पर थाना स्थानीय पर NCR NO. 002/26 धारा 217 BNS बनाम सुरेमन पुत्र स्व0 सन्तू नि0 नसीरपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। झूठी सूचना देने पर अभियुक्तो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अपहरण की फर्जी व मनगढन्त सूचना देने वालों का नाम पता व मुकदमा-

1. गीता पत्नी सूरेमन निवासिनी नसीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. सूरेमन पुत्र स्व0 सन्तू निवासी नसीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ(वादी मुकदमा)

मु0अ0सं0 76/2026 धारा 140(3) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

झूठी सूचना देने वालो के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग-

NCR NO. 002/26 धारा 217 BNS थाना सरायलखंसी मऊ

बरामदकर्ता टीम-

1- उ0नि0 शंकर यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2- सर्विलांस टीम जनपद मऊ।

गैर-इरादतन मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काली माता मंदिर के आगे पोखरे के पास से मु0अ0सं0 59/26 धारा 105, 115(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त जगधारी मौर्य पुत्र जयचन्द मौर्य निवासी भाटीखुर्द थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया कि मेरे द्वारा अपनी पत्नी को मारा पीटा गया था और उसी मारपीट में मेरी

बच्ची को भी चोट लग गयी रात में सोने के बाद जब सुबह जगे तो मेरी बच्ची मर चुकी थी। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. जगधारी मौर्य पुत्र जयचन्द मौर्य निवासी भाटीखुर्द थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 वैभव कुमार पाण्डेय
2. का0 राजेश पटेल .